GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)
****

No.2013/TG-I/20/P/PRS Ticket   New Delhi, dated 10.2.2015

The Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways

Commercial Circular No. 7 of 2015

Sub: Increase in the size of PRS tickets.

The issue regarding changing the format of existing PRS tickets to take care of the changed requirements over a period of time has been examined in consultation with CRIS and it has been decided to make the following changes in dimensions of the printable area on the front and reverse of PRS ticket (format enclosed) as under:-

(i) The existing area of 15.6 cm x 9.6 cm available on the front side of the ticket will only be used for publishing passenger information.

(ii) The advertisement area will be provided at the reverse side of the ticket.

(iii) The general instructions being published on the reverse side of the ticket will be revised/abridged (copy enclosed).

3. Zonal Railways will ensure that the fresh indent for reserved ticket rolls will now be placed only with the revised format. CCM/PM of four Zonal Railways i.e. Central, Eastern, Northern & Southern Railways will coordinate with other railways concerned, served by their PRS and advise CRIS the date of effect from which only the tickets with new format will be printed.

4. Necessary instructions may be issued to all concerned.

(Dr. S.K. Ahirwar)
Director Traffic Commercial (G)
Railway Board

DA: As above

No.2013/TG-I/20/P/PRS Ticket   New Delhi, dated 10.02.2015

Copy to EDRS(G) for information and necessary action.

(Dr. S.K. Ahirwar)
Director Traffic Commercial (G)
Railway Board

DA: As above

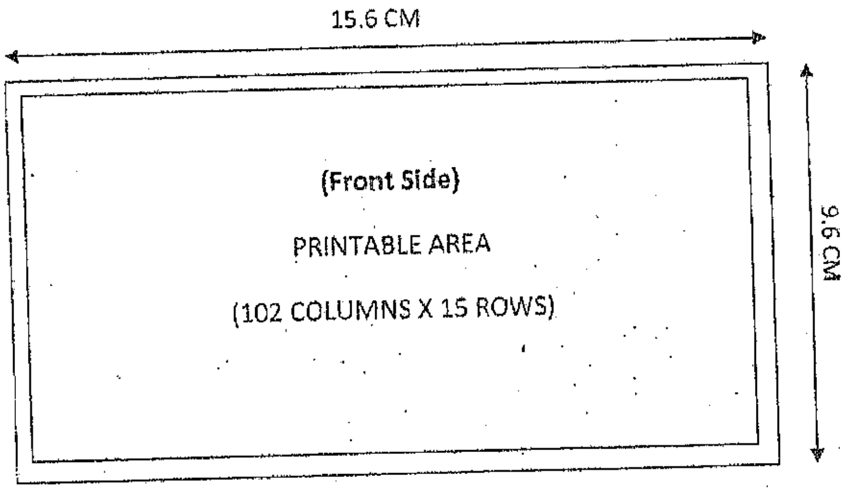

- Printable area (length and width) increased.
- 2 rows added and 14 columns/characters increased.

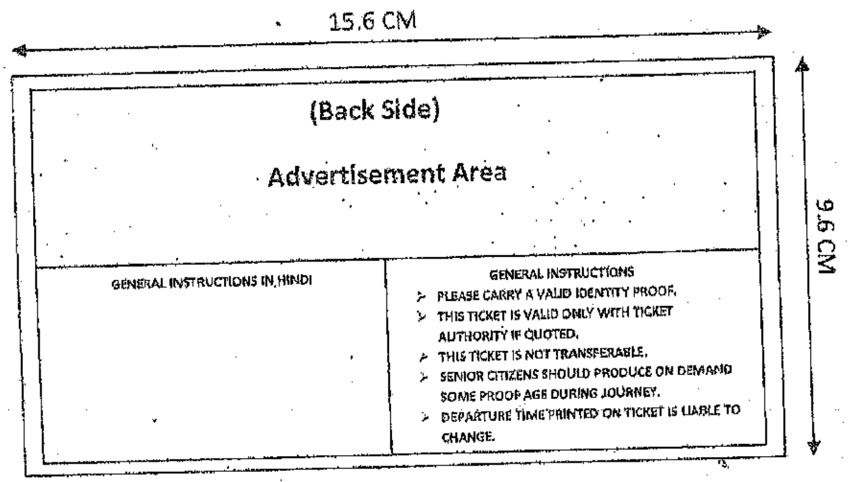

REVISED GENERAL INSTRUCTIONS

- PLEASE CARRY VALID IDENTITY PROOF
- THIS TICKET IS VALID ONLY WITH TRAVEL AUTHORITY IF QUOTED
- THIS TICKET IS NOT TRANSFERABLE
- SENIOR CITIZENS SHOULD PRODUCE ON DEMAND SOME PROOF OF AGE DURING JOURNEY
- DEPARTURE TIME PRINTED ON THE TICKET IS LIABLE TO CHANGE
- PL. WRITE THE NAME AND PHONE NO. OF THE PERSON WHO COULD BE CONTACTED IN CASE OF EMERGENCY:

____

The text mentioned below should be printed only after receipt of instructions on this account from Railway Board

"TO REPORT UNSAVOURY SITUATION DURING JOURNEY PLEASE DIAL RAILWAY SECURITY HELPLINE NO. 182"

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

*****

सं० 2013/टी जी 1/20/पी/पीआरएस टिकट नई दिल्ली दिनांक: 10.2.2015

मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें,

<u>2015 का वाणिज्यिक परिपत्र सं० 7</u>

विषय: पीआरएस टिकटों का आकार बढ़ाना।

मौजूदा पीआरएस टिकटों के फॉर्मेट में परिवर्तन करने के मुद्दे की क्रिस के साथ परामर्श करके जांच की गई है ताकि उसे बदली हुई जरूरतों के अनुरूप बनाया जा सके और यह विनिश्चय किया गया है कि पीआरएस टिकट के अगले और पिछले भाग में मुद्रित किए जाने वाले भाग के परिमाप में निम्नलिखित परिवर्तन किए जाएं (फॉर्मेट संलग्न हैं) :-

(i) टिकट के अगले भाग में उपलब्ध 15.6 सेमी X 9.6 सेमी. के विद्यमान स्थान का इस्तेमाल केवल यात्री सूचना प्रकाशित करने के लिए किया जाएगा।

(ii) टिकट के पिछले भाग में विज्ञापन के लिए स्थान उपलब्ध कराया जाएगा।

(iii) टिकट के पिछले भाग में प्रकाशित किए जाने वाले सामान्य अनुदेशों को संशोधित/संक्षिप्त किया जाएगा (प्रतिलिपि संलग्न)

3. क्षेत्रीय रेलें यह सुनिश्चित करेंगी कि आरक्षित टिकट के रोलों के लिए नए मांगपत्र अब केवल संशोधित फॉर्मेट में प्रस्तुत किए जाएंगे। चार क्षेत्रीय रेलों अर्थात् मध्य, पूर्व, उत्तर और दक्षिण रेलों के सीसीएम/पीएम, अपने पीआरएस द्वारा सेवित होने वाले अन्य संबंधित रेलों के साथ समन्वय करेंगे और क्रिस को उस तारीख के बारे में सूचित करेंगे जब से नई फॉर्मेट वाली टिकटों का मुद्रण हो जाएगा।

4. सर्व संबंधित को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं।

(डॉ० एस.के.अहिरवार)
निदेशक, यातायात वाणिज्य (जी)
रेलवे बोर्ड

संलग्न: यथोक्त

सं० 2013/टी जी1/20/पी/पीआरएस टिकट नई दिल्ली, दिनांक: 10.2.2015

प्रतियां का नि.आरएस(जी) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

(डॉ० एस.के.अहिरवार)
निदेशक, यातायात वाणिज्य (जी)
रेलवे बोर्ड

संलग्न: यथोक्त

15.6 सैंमी.

(अग्र भाग)

मुद्रित किया जाने वाला भाग
(102 कॉलम X 15 पंक्तियां)

मुद्रित किया जाने वाला भाग (लम्बाई एवं चौड़ाई) बढ़ाया गया।
2 पंक्तियां जोड़ी गई और 14 कॉलम/वर्ण-चिह्न बढ़ाए गए।

15.6 सैंमी.

(पृष्ठ भाग)

विज्ञापन वाला भाग

सामान्य अनुदेश

- कृपया कोई वैध पहचान पत्र अपने साथ रखें।
- यदि टिकट प्राधिकार का उल्लेख किया गया है तो यह टिकट केवल उसके साथ ही वैध होगी।
- यह टिकट हस्तांतरणीय नहीं है।
- वरिष्ठ नागरिकों से यात्रा के दौरान उनकी आयु के संबंध में कोई प्रमाण मांगे जाने पर उन्हें आयु का प्रमाण देना होगा।
- टिकट पर मुद्रित प्रस्थान समय में परिवर्तन हो सकता है।

संशोधित सामान्य अनुदेश

कृपया कोई वैध पहचान पत्र अपने साथ रखें।

यदि टिकट प्राधिकार का उल्लेख किया गया है तो यह टिकट केवल उसके साथ ही वैध होगी।

यह टिकट हस्तांतरणीय नहीं है।

वरिष्ठ नागरिकों से यात्रा के दौरान उनकी आयु के संबंध में कोई प्रमाण मांगे जाने पर उन्हें आयु का प्रमाण देना होगा।

टिकट पर मुद्रित प्रस्थान समय में परिवर्तन हो सकता है।

कृपया उस व्यक्ति का नाम और फोन नम्बर लिखें जिनसे आपात समय में संपर्क किया जा सके:

--

नीचे उल्लिखित पाठ रेलवे बोर्ड से इस संबंध में अनुदेश प्राप्त होने के बाद ही मुद्रित करें

"यात्रा के दौरान कोई अप्रिय घटना होने पर कृपया रेलवे सुरक्षा हेल्पलाइन नं. 182 पर सूचना दें।"